बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

पत्रांक–6ए/वि01–1074/2017– 293 पटना, दिनांक– 16/2/18

प्रेषक :

सतीश चन्द्र मिश्र,

अभियंता प्रमुख।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल।

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा निर्मित योजनाओं को चालू रखने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की मार्गदर्शिका में राशि विमुक्ति से संदर्भित कंडिकाओं में परिवर्तन किया गया है जिसके अनुसार राज्य सरकार को भारत सरकार से प्रथम किस्त की राशि (संसूचित एलोकेशन की राशि का 50 प्रतिशत) सामान्य तौर विमुक्त की जानी है तथा शेष 50 प्रतिशत राशि दो भागों में विभक्त की गयी है। प्रथम भाग द्वितीय किस्त की राशि का 50 प्रतिशत योजनाओं को कार्यशील रहने (Functionality) पर आधारित होगी। इसके तहत अगर 80 प्रतिशत से अधिक योजनाएँ चालू रहती है तो द्वितीय किस्त की 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को विमुक्त की जायेगी। भारत सरकार द्वारा योजनाओं को कार्यशील रहने के संबंध में मंत्रालय द्वारा तृतीय पक्ष (Third Party) द्वारा निरीक्षण कराया जायेगा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में 80 प्रतिशत अधिक योजनाएँ चालू रहने पर राशि की विमुक्ति भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से की जायेगी अन्यथा 80 प्रतिशत से कम चालू रहने पर सामानुपातिक रूप से राशि में कटौती की जायेगी तथा 50 प्रतिशत से कम योजनाएँ चालू रहने पर द्वितीय किश्त की 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से विमुक्त नहीं की जायेगी। इससे स्पष्ट है कि निर्मित योजनाओं को चालू नहीं रहने की स्थिति में राज्य सरकार को द्वितीय किश्त की आधी राशि से वंचित रहना पड़ेगा अथवा राशि में कटौती होने से कम राशि की प्राप्ति होगी। भारत सरकार से किसी प्रकार की राशि में कटौती होने पर इसकी पूर्ण जबावदेही संबंधित कार्यपालक अभियंताओं की होगी।

उक्त आलोक में यह आवश्यक हो गया है कि जो योजनाएँ भारत सरकार के IMIS में पूर्ण अंकित है उन्हें चालू रखा जाए। साथ ही निमार्णाधीन योजनाएँ जो पूर्ण होती है उन्हें भी चालू रखा जाए। योजनाओं के बंद रहने के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इसकी पूर्ण जबावदेही संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी। अतएव सभी कार्यपालक अभियंता अपने क्षेत्रान्तर्गत निर्मित योजनाओं को चालू रखने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित

कर लें ताकि भारत सरकार के निरीक्षण दल द्वारा योजनाओं के निरीक्षण के क्रम में योजनाएँ चालू स्थिति में रहे तथा इसका लाभ आम जनता को मिलती रहे।

अतः निदेश दिया जाता है कि इस संबंध में तुरत कार्रवाई अपने स्तर से कर लें तथा इस संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय को 15 दिनों के अंदर भेजना सुनिश्चित करें क्योंकि माह अप्रैल-मई 2018 में तृतीय पक्ष निरीक्षण दल का भ्रमण संभावित है।

विश्वासभाजन
15.2.18
(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक-293 पटना, दिनांक- 16/2/18

प्रतिलिपिः-सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश है कि अपने स्तर से सभी योजनाओं को चालू रहने की स्थिति की समीक्षा कर ली जाए। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता कम-से-कम 25 प्रतिशत योजनाओं का निरीक्षण अपने स्तर से कर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

15.2.18
(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख।

All Draft 2017